तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
09/01/26	प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 CPC अन्तर्गत दुरुस्त किये जाने हेतु दिनांक 06/01/26 पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी वादी ने निवेदन किया कि [illegible] दिनांक 06/01/26 को निर्णय डिक्री के सहमति एवं टंकण त्रुटि के कारण प्रकरण का उनवान जिले सिंह बनाम हेतोष देवी के स्थान पर रामकिशन बनाम रामेश्वर मू० नं० 22/2025 अंकित हो गया। जिसे डिक्री व दुरुस्त किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 CPC स्वीकार किया जाता है। निर्णय डिक्री में ~~रामेश्वर~~ रामकिशन बनाम रामेश्वर मू० नं० 22/2025 के स्थान पर उनवान जिले सिंह बनाम हेतोष देवी मू० नं० 36/2024 किया जाता है। संशोधित डिक्री पृथक से तैयार की जाकर प्रा० पत्र फैसल शुमार कर शामिल पत्रावली हो।